(56)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 62 / 2488 / 12

जनपद पौड़ी गढवाल में ढकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकीखाल तक मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

फोटो प्रति सत्यापित।

सहायक अभियन्ता (अ.)
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बेजरों-बद्धकाल

जुलाई 2012

(51)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पत्रांक— 68/ लो०नि०वि/12/12 दिनांकः 25.7.2012

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बैजरो—पौडी गढवाल।

विषय:— मार्ग समरेखन की भूगर्भीय आख्या।

महोदय,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो से सम्बंधित ढकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकीखाल तक मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—यथोपरि

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

पत्रांक:— दिनांक:—

प्रतिलिपि :— कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, यातायात वर्ग, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

Copy attested

सहायक अभियन्ता (अ.)
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बैजरौं—गढवाल

जनपद पौड़ी गढवाल में ढकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकी खाल तक मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

1. निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बैजरो के अन्तर्गत 2.00 कि0मी0 लम्बाई में ढकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकी खाल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरो के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.06.2012 को सम्बंधित सहायक अभियन्ता श्री वी0एस0 रावत एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री रुकम सिंह चौहान के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना के अन्तर्गत ढकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकी खाल तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो में स्थानीय ग्रामवासियों की असहमति एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समरेखन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121 के कि0मी0 99 में ढकरीखाल तोक से खडड साईड से आरम्भ होता है तथा निर्धारित 2.00 कि0मी0 लम्बाई पूर्ण कर समाप्त होता है। स्वीकृत लम्बाई में कसाणा बिचला की आबादी लाभान्वित होगी। समरेखन में तीन हेयर पिन बैण्डस है, जो क्रमशः क्रास सैक्शन 0/17, 0/30 एवं [illegible] में दिये गये है। अलग-अलग भाग में समरेखन सिविल एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में संधियुक्त फिलाईट चटटान है, व स्थान-स्थान पर इनके ऊपर डेब्री का ओवरबर्डन है। भूमि का सामान्य ढलान 20° से 35° के मध्य प्रतीत होता है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तार में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथा सम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण [illegible] समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैण्ड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में बनाये जाये।

(घ) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म की स्थिति को avoid किया जाय अन्यथा [illegible] न होने की स्थिति में मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के [illegible] की सम्भावना हो सकती है।

फोटो प्रति सत्यापित,

सहायक अभियन्ता (प्र.)
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
बैजरो-पौड़ी

53

(ङ) समरेखन के समीप स्थित घरों व सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(च) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(छ) जहाँ मार्ग कटान की ऊचांई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(ज) जहाँ आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाडी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(झ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(ञ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियान्त्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:–

(1) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material द्वारा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5 ढकरीखाल तोक से कसाणा बिचला होते हुये चौकी खाल मोटर मार्ग हेतु 2.00 कि0मी0 लम्बाई की प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:–

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन / मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण हेतु समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272 / 3(1)याता0–30 / 05 दि0 18.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

फोटो प्रति सत्यापित।

सहायक अभियन्ता (प्र.)
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
पौड़ी-गढ़वाल